सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 426
08/06/2018

BPSC तथा UPSC की PT उत्तीर्ण अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार देगी एक मुश्त आर्थिक सहायता

पटना, 08 जून ::– ''मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना'' के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अग्रेतर तैयारी हेतु एकमुश्त 50,000 (पचास हजार) रुपये तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित संघ लोक सेवा आयोग की सिविल प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को एक मुश्त 1,00,000 (एक लाख) रुपये का लाभ देने की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। उक्त जानकारी सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने दी।

उन्होंने बताया कि प्रायः यह देखा जाता है कि बिहार लोक सेवा आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी आर्थिक कठिनाईयों के कारण मुख्य परीक्षा के पूर्व परीक्षा की तैयारी के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग/पर्याप्त मार्गदर्शन एवं उपयोगी पुस्तक क्रय करने में सक्षम नहीं रहते हैं। वर्णित परिस्थिति में मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु आर्थिक सहायता देना समीचीन प्रतीत होता है।

सचिव ने बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी का बिहार का मूल निवासी होना एवं राज्य/संघ लोक सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा (PT) उत्तीण होना अनिवार्य होगा तथा किसी भी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ एक ही बार देय होगा। उन्होंने बताया कि पूर्व से किसी भी सरकारी/लोक उपक्रम में कार्यरत अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

....